

## न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास - श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 5/2017

अपीलान्ट

बनाम

रेस्पोंडेन्ट

जयप्रकाश पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी  
रोल तहसील जायल।

तहसीलदार जायल।

उपस्थिति :-

1. श्री गंगासिंह कालवी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 16.01.18

{1}-मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, जायल द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 401/16 सरकार बनाम जयप्रकाश में निर्णय दिनांक 09.01.17 के तहत मौजा रोल के खसरा नं. 252 रकबा 1 बीघा गै.मु. मगरा भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.1.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 17.01.17 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}-उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि -

{2}(I)-आदेश जैर अपील विरुद्ध कानून व हालात मामला के है जो निरस्तनीय है।

{2}(II)-नोटिस में यह उल्लेख नहीं है कि अपीलांट ने कब अतिक्रमण किया है व किस प्रकार किया है, कोई उल्लेख नहीं है तथा नोटिस प्रिन्टेड फार्म पर है जिसमें कब्जा करने की जगह खाली जगह है व केवल 207 लिखा है आगे सन लिखने का अक्षर नहीं लिखा है सो जवाब देना संभव ही नहीं था। इसके अलावा दिनांक 29.11.16 को प्रार्थना पत्र देकर वकील अपीलांट ने पूर्व की पत्रावली रिमाण्ड होकर आई है। जिस पर कोई निर्णय नहीं किया है। सो दोनो पत्रावलियों को साथ करके निर्णय किया जाये। मगर इसका कही आदेश तालिका में उल्लेख नहीं है। जैसे यह प्रार्थना पत्र किया ही न हो। मगर प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलांट के पास है। सो यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा प्रार्थना पत्र नहीं किया गया। जब यह प्रार्थना पत्र किया गया तो इस पर आदेश भी करना आवश्यक था जो सरासर बदयान्तीपूर्ण है तथा जब मामला पहले से विचाराधीन है तो नया मामला किस कारण से खोला गया। इसलिये सारी कार्यवाही ही अवैध है। जो निरस्तनीय है।

{2}(III)-वकील अपीलांट की बहस कभी नहीं सुनी, ऐसा उल्लेख आदेश तालिका दिनांक 03.01.17 में है मगर उस पर वकील अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है तथा दिनांक 09.01.17 की आदेश तालिका में वकील अपीलांट के हस्ताक्षर कराये है। जिसमें लिखा है कि अप्रार्थी ने जवाब पेश नहीं किया है। सो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। जब बहस पहले सुन ली तो उस दिन जवाब कैसे मांग रहे थे। इससे भी हास्यास्पद है कि वकील की उपस्थिति दर्ज की है व इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है जो यह जाहिर करता है कि वकील के हस्ताक्षर खाली आदेश तालिका पर कराये है। इसलिये भी वह पूरी कार्यवाही अवैधानिक व विधि विरुद्ध है।

{2}(IV)-अधीनस्थ न्यायालय ने अपने स्तर पर कोई जांच नहीं की न साक्ष्य ली है। पटवारी हल्का के बयान तक नहीं लिये है। न मौका मुआयना किया है। न अपीलांट को जवाबदेही का अवसर दिया है। न साक्ष्य ली है न पूर्व की पत्रावली साथ की है तथा वह अभी तक विचाराधीन है, रिमाण्ड होने के बाद अपीलांट को नोटिस भी दिनांक 01.08.12 व दिनांक 04.09.12 को पेशी दिनांक 14.08.12 व दिनांक 03.10.12 के लिये दिये है। मगर कभी पत्रावली पेशी पर नहीं आई न उस पर कोई निर्णय हुआ सो पूर्वा कार्यवाही विधि विरुद्ध है। जो निरस्तनीय है।



अपर कलक्टर, नागौर

[2](V)—पहले की कार्यवाही रामनिवास पुत्र फताराम माली निवासी रोल की शिकायत पर दर्ज की गई थी। उसका कहना था कि उसके खेत खसरा नं. 242 के पूर्व में खसरा नं. 251 व 250 में होता हुआ रास्ता उसके खेत के लिये खसरा नं. 252 गै.मु. मगरा तक जाता है तथा मगरा में मुडिया रोड है। इस रास्ता पर अपीलांट ने खसरा नं. 252 गै.मु. मगरा पर अतिक्रमण करके उसके रास्ता को रोक दिया है। जबकि ऐसा कोई रास्ता उसके खेत तक जाने का कभी नहीं था न अब है। उनका कहना था कि खसरा नं. 240 अपीलांट की खातेदारी का है। जो उसके खेत व खसरा नं. 250 व 251 के बीच पडता है। सो उधर से उसका रास्ता का प्रश्न ही नहीं है। उसके खेत के दक्षिण में खसरा नं. 243 पडता है जो सरकारी खुली भूमि है। उस पर चलकर वह रास्ते पर जाता है जो भी कटाणी है व मुडिया सडक है। वह चाहता है कि खसरा नं. 252 गै.मु. मगरा में से 600 गज भूमि जो अपीलांट को 9000 रु. कीमत अदा करके आवंटन की है व उसकी खरीदसुदा भूमि के बीच में से रास्ता कायम करे। वह मात्र राजनेतिक द्वेषतावश विरोधी पक्ष के कहने से कर रहा है तथा वह स्वयं राजनेतिक अपीलांटान का विरोधी है। अपीलांट के विरोधी पक्ष का यह रामनिवास है। इधर उसका कोई मार्ग नहीं है। इस मामले में तहसीलदार ने गलत रूप से दिनांक 14.06.2000 को खसरा नं. 242 से 252 तक रास्ता की तरमीम नक्शा में की जाये जो अस्पष्ट आदेश है न ऐसा आदेश करने का अधिकार ही तहसीलदार को है। जिसके विरुद्ध अपील में अपीलांट गया व न्यायालय हाजा ने इस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध शिकायतकर्ता श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी नागौर में अपील में गया वह भी अस्वीकार की गई व माननीय राजस्व मंडल अजमेर में वह निगरानी में गया तो मामला रिमाण्ड किया गया व अपीलांट को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय करने का आदेश दिया जो अभी तक निर्णीत नहीं किया हैं। सो पहले वह पत्रावली फैसल होनी चाहिये थी। जो बावजूद प्रार्थना पत्र के भी नहीं की गई है व नई पत्रावली खोल दी। सो अवैध है व आदेश निरस्तनीय है।

[2](VI)—सभी कागजात व पूर्व की पत्रावलियों से साबित है कि अपीलांट का कब्जा 20 वर्ष से ज्यादा पुराना है। सो कब्जा उसका नियमन योग्य भी है। उस नजर से भी मामला को देखना चाहिये मगर ऐसा कुछ भी अधीनस्थ न्यायालय ने नह किया।

[3]— राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा ग्राम रोल में स्थित राजकीय मगरा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन मगरा है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

[4]— उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके रोल के खसरा नंबर 252 रकबा । बीघा गैर मुमकिन मगरा भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन मगरा है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

[5]— उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

[6]— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रजिस्ट्रार जैर अतिक्रमण प्रकरण

कलकत्ता न्यायालय



(अशोक कुमार)

अपर कलक्टर, नागौर  
नागौर